(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : Tr. No. 22/2020

प्रकरण दर्ज दिनांक

CGRERA-P-Exe.m.All-2019-00846

आवेदक : मेसर्स जगदम्बा इन्फ्रा. V/s Smt. विद्या गजभिये

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
08/06/21	प्रकरण आज V.C के माध्यम से सुनवाई में लिया गया। आवेदकगण द्वारा श्री डेगेश्वर बंजारे अधिवक्ता । अनावेदिका श्रीमती विद्या गजभिये अनुपस्थित। अनावेदिका श्रीमती विद्या गजभिये को मोबाईल से संपर्क कर उन्हे वी.सी. में जुड़ने के लिए सुचित किया गया इस पर उन्होंने कहा कि उनके पक्ष में विकय पत्र आवेदकगण द्वारा निष्पादित कर दिया गया हैं और वे प्रकरण में उपस्थित नहीं होना चाहते। आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री डेगेश्वर बंजारे ने ईमेंल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में आवेदकगण ने एवं अधिवक्ता श्री बंजारे द्वारा निवेदन किया है कि आवेदकगण के द्वारा अनावेदिका श्रीमती विद्या गजभिये पत्नी श्री दिलीप कुमार गजभिये के पक्ष में पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित किया जा चुका हैं इस कारण वे निष्पादन आवेदन पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे। आवेदन के साथ विकय पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई हैं। ईमेल किये गए आवेदन एवं विकय पत्र की प्रति अभिलेख पर ली गई। आवेदकगण प्रस्तुत निष्पादन आवेदन पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं परिणमतः निष्पादन आवेदन खारिज किया जाता हैं। प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाए। (दीपा कटारे) न्याय निर्णायक अधिकारी न्याय निर्णायक अधिकारी भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	